फा0सं0 17014/35/2013-आई.एस.VII

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 24 मार्च, 2014

सेवा में,

श्री क्षेत्रपाल कंसारा,

पुत्र स्व0 श्री उदय लाल जी,

पोस्ट ऑफिस-देवगढ़ मदारिया,

जिला-राजसमन्द, राजस्थान-313331.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आपका आवेदन दिनांक 04-02-2014 के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रपति सचिवालय, आर0टी0आई0 अनुभाग ने अपने पत्र सं0 2238/आरटीआई/02/13-14 दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 04.02.14 का आवेदन अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय को स्थानान्तरित किया है जिसे अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय ने पुन: अपने ओ0एम0सं0 43020/01/2014-आर0टी0आई0 दिनांक 20.03.2014 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्थानान्तरित किया है, जो कि अधोहस्ताक्षरी को 21.03.2014 को प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 04.02.2014 के आवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को पूर्व में ही दिनांक 26.02.2014 को अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय के ओ0एम0सं0 43020/01/2014-आर0टी0आई0 दिनांक 13.02.2014 द्वारा प्राप्त हो चुकी थी। आपके इस आवेदन पर अधोहस्ताक्षरी के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.03.2014 द्वारा यथोचित जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

25 MAR 2014

(राजेश कुमार गुप्ता)

निदेशक (आई.एस.III) तथा

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी.

1/ओ.एस.डी.(आर)/2014
21/3

आर टी आई मामला/तत्काल

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 20/03/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल कंसारा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल के दिनांक 04/02/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में राष्ट्रपति सचिवालय से अंतरण द्वारा दिनांक 17/02/2013 को प्राप्त) को .... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क राष्ट्रपति सचिवालय दिनांक ..../..../2013 की रसीद सं. .... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

JM
(JS-VII)

Received on. 21.03.2014

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

US (JS-VII)
P. P/U.
21/3/14

सेवा में

निदेशक (JS-III)
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल कंसारा
S/o Late Sh. Udai Lal ji
P.O. Deogarh Madariya
Distt. Rajsamand, Rajasthan - 313331

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सूचना
का अधिकार

2238/आर.टी.आई./02/13-14
राष्ट्रपति सचिवालय
PRESIDENT'S SECRETARIAT
आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.
11, फरवरी 2014

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री गोपाल कंसारा का दिनांक 04.02.2014 का आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2014 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10 (रूपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

जे.जी.सुब्र.
(जे. जी. सुब्रमणियन)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

अवर अधिकारी
आर.टी.आई. अनुभाग
..... नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थः
Shri Gopal Kansara
S/O Late Sh. Udai Lal Ji
Po. Deogarh Madariya
Dist. Rajsamand, Rajasthan- 313331.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

जे.जी.सुब्र.
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
17 FEB 2014
20-CR-MHA

राष्ट्रपति सचिवालय/President's Secretariat
(सू० का अधि०) अनुभाग/(RTI) Section
डायरी सं०/Dy. No. 2238/RTI/2014
दिनांक/Date 7-2-14
हस्ताक्षर/Signature [signature]

सूचना हेतु आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

सेवा में,
श्रीमान 1. C.P.I.O., महामहिम राष्ट्रपति भवन, नई-दिल्ली।
2. C.P.I.O., गृह विभाग, भारत-सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई-दिल्ली।

1. आवेदक का नाम - GOPAL KANSARA (R.T.I. ACTIVIST)

2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है -
GOPAL KANSARA
(R.T.I. ACTIVIST)
S/O LATE SH. UDAI LAL JI
P.O. DEOGARH MADARIYA-313331
DISTT.-RAJSAMAND (Raj.)

3. फोन नम्बर - 09461346905

4. आवेदन देने की दिनांक - 4.2.14

5. कार्यालय का नाम - 1. महामहिम राष्ट्रपति भवन, 2. गृह विभाग, भारत सरकार, नई-दिल्ली

6. चाही गई जानकारी का विवरण - 1. 1984 में "स्वर्ण-मन्दिर", सिख विरोधी दंगों में भारत-सरकार को प्राप्त सूचना जिसके आधार पर कार्यवाही की जाती सुनिश्चित हुई, से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली, महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से प्राप्त अनुमति, केबिनेट से प्राप्त स्वीकृति "स्वर्ण-मन्दिर में आपरेशन 1984" शुरू का ब्योरा दीजिये। (2) करने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति कानून आवश्यक है/नहीं

P.T.O.

7. क्या चाहते हैं, नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रतिलिपि
नमूना -

8. आवेदन के साथ अदा की जाने वाली प्रोसेस फीस रूपये 10/- नकद/पोस्टल ऑर्डर/
डी.डी. (बी.पी.एल. के लिए लागू नहीं) I.P.O. 95E 42 5586
क्रमांक व दिनांक -

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं हाँ / नहीं
यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक ...

[signature] 4.2.14
हस्ताक्षर आवेदक

[illegible] सिख विरोधी 1984 ऑपरेशन के सिलसिले [illegible]

जाँच कमेटी की जाँच रिपोर्ट दीजिये ।

5. भारत सरकार द्वारा सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन के प्रभावित पीड़ितों के लिये जारी सहायता पैकेज का विस्तृत ब्योरा तथा

6. अब तक सहायता पैकेज की उपयोगिता प्रमाण-पत्र, ऑडिट रिपोर्ट का ब्योरा दीजिये ।

7 सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन में दोषी जन प्रतिनिधियों का ब्योरा दीजिये, जिसके सन्दर्भ में जाँच / उच्च स्तर पर भी से दोषी पाये गये का विस्तृत ब्योरा दीजिये ।

8 सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन में चिह्नित सरकारी कार्मिकों का ब्योरा जिन्हे उपरोक्त ऑपरेशन में दोषी ठहराया गये की विस्तृत सूचना दीजिये ।

9. अब तक दोषी जनप्रतिनिधि एवम् सरकारी कार्मिकों के पर की गई कार्यवाही का ब्योरा [जिन्हे सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन में दोषी माना गया] का विस्तृत विवरण या ऑफिस नोट शीट की प्रतियाँ दीजिये । (10) सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन भारत सरकार, गृह विभाग अपने स्तर पर स्वयं करवा सकती / अनुमति ली जानी आवश्यक है / नहीं

11 सिख विरोधी 1984 के ऑपरेशन में कितने लोगों को सहायता पैकेज के तहत सरकारी नौकरियाँ दी गई, विस्तृत पत्रावली की प्रतियाँ दीजिये । 12 सिख विरोधी ऑपरेशन 1984 शुरू करने से पूर्व ऑपरेशन [illegible]